न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-693/2026

Bihariganj P.S. Case No.-95/2026

1. राकेश कुमार उर्फ हर्ष सिंह कुशवाहा, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता– सुरेन्द्र मेहता
(साकिन –रामपुर डेहरू, वार्ड संख्या–09, थाना–बिहारीगंज, जिला– मधेपुरा।)
.....अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

14-07-2026 जमानत आवेदन अभियुक्त **राकेश कुमार उर्फ हर्ष सिंह कुशवाहा** के द्वारा बिहारीगंज थाना कांड संख्या–95/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 96, 137(2)/3(5) बी.एन.एस में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक थानाध्यक्ष बिहारीगंज सुनील मेहता के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–23.03.2026 समय करीब–09:20 रात्रि में वे सपरिवार मिलकर घर में बरामदे पर बैठ कर खाना खा रहे थे। सूचक की नबालिग पुत्री फुल कुमारी, उम्र करीब 17 वर्ष खाना खाकर दरवाजा पर टहल रही थी। इसी दरम्यान एक गाडी डिजायर जिसका रजि नं०–बी. आर–11ए.स–4018 दरवाजे के सामने लगाकर उसकी बेटी फुल कुमारी को जबरन उक्त गाड़ी में हथियार का भय दिखाकर बैठा लिया। उसकी बेटी फुल कुमारी शोर गुल की जब तक वे लोग दरवाजे पर आये। तब तक उक्त गाड़ी में बैठे राकेश कुमार उर्फ हर्ष सिंह कुशवाहा ने अपने संबंधित ड्राईवर 02. आशिष कुमार के सहयोग से उक्त नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया। जानकारी उपरान्त सूचक ने राकेश कुमार उर्फ हर्ष सिंह कुशवाहा के यहाँ गया और उनके माँ–बाप भाई वगैरह से मिले और अर्ज किये कि आपका पुत्र राकेश कुमार उर्फ हर्ष सिंह कुशवाहा मेरी नबालिग पुत्री को हवस करने के मंशा से लेकर भागा है। कृपया मेरी पुत्री लौटा दे। इतना कहना कि राकेश कुमार हर्ष सिंह कुशवाहा के पिता सुरेन्द्र मेहता, गीता देवी, मनीष कुमार के अलावे 03–04 अज्ञात संदिग्ध लोगों ने उसके साथ भद्दी–भद्दी गाली–गलौज व मारपीट करते हुए साले उसका बेटा राकेश कुमार उर्फ हर्ष सिंह कुशवाहा इसी तरह लड़की को अगवा कर हवस पुरा करता है तुन्हें जहाँ जाना है जाओं लड़की वापस नहीं करेगें। इस बात का विरोध करने पर सुरेन्द्र मेहता एवं मनीष कुमार ने सूचक को फाईट मुक्का से मारा और पॉकेट से 6500/- रु० छीन लिया। मनीष कुमार अपने कमर से देसी कट्टा निकाल कर लहराते हुए बोला साला गोली से भुन देगे। कोई सिनाख्त नहीं मिलेगा। राकेश कुमार मनचले किस्म का लड़का है गाँव की अच्छी भली लडकी के साथ छेड़छाड़ करता है वजह यह है कि

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

14-07-2026
लगातार.....

राकेश कुमार संदिग्ध वो अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है उसे पुर्ण शंका है राकेश कुमार उसकी पुत्री के साथ हवस पुरा कर जान मार न दे या कही दिगर व्यक्ति के हाथ बेच न दे। सूचक के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्व बिहारीगंज थाना कांड़ संख्या– 95/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 96, 137(2)/3(5) बी.एन.एस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र प्रसाद यादव, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है न खारिज हुआ है न कहीं लंबित ही है। आवेदक पुर्णतः निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है तथा स्थानीय गंदी राजनिति के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक और पीड़िता फुलकुमारी का विवाह उनकी अपनी मर्जी से हुआ था और फुलकुमारी का किसी ने अपहरण नही किया था। आवेदक के विरूद्व कोई विशिष्ट आरोप नही है। आवेदक अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि *It is alleged that petitioner Rakesh Kumar @ Harsh Singh Kuswaha abducted victim Ful Kumari for purpose of marriage. Ful Kumari appeared before the court and gave statement u/s 164 Cr.P.C./183 B.N.S.S. that she had been pursuing affair with Ramesh Kumar. Her decision to marry him was declined by her family and family decided to marry her off else where to which victim was not ready. Victim decided to elope with petitioner and went to Purnia and solemnized marriage at Purnia Goddess Kali Temple. After marriage couple lived in a rented accommodation at Purnia when victim came to know about the case. She came and gave her statement that she was not abducted by petitioner rather she married to him as per her own wish. Victim also expressed apprehension that she might be killed by her parents for marrying of her own choice.*

Ld. Judicial Magistrate assessed the age of victim as 18 years and therefore Major.

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

14-07-2026
लगातार.....

In view of the fact and circumstances of the case, I am inclined to enlarge the petitioner on anticipatory bail on his arrest or surrender within 15 days from this order upon furnishing a bail bond of Rs. 20,000/- of two sureties of like amount each to the satisfaction of learned Court below.

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura